128

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं0–मं०मं०–01/आर०–14/2008......233....../

प्रेषक,

अफज़ल अमानुल्लाह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष

पटना–15, दिनांक–20 मई, 2010

विषयः– **मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख भेजे जाने के संबंध में।**

प्रसंगः– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का पत्रांक–422 दिनांक–04.03.2006

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया निदेश किया जाय। प्रासंगिक पत्र द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख भेजे जाने के मामले में विस्तृत मार्गदर्शन संसूचित किये गये थे एवं तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया गया था (प्रतिलिपि संलग्न)।

मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख भेजे जाने के मामले में सम्प्रति यह अनुभव किया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक प्रारंभ होने के समय तक भी संलेख प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं जिसके कारण प्रस्तावित विषय के उपस्थापन में अनावश्यक हड़बड़ी एवं परेशानी का सामना करना पड़ता है। संबंधित संचिका एवं संलेख का अध्ययन पूरी तौर पर नहीं हो पाता है तथा किसी बड़ी भूल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि सामान्यतः मंत्रिपरिषद् की बैठक प्रत्येक मंगलवार को होती है, इसलिए विभिन्न विभागों से मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले संलेख प्रस्ताव प्रत्येक शुक्रवार को 12.00 बजे दिन तक निश्चित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को हस्तगत कराए जायँ। अपवाद स्वरूप ही यथेष्ट कारण रहने पर, इसके बाद संलेख प्रस्ताव स्वीकार किये जा सकते हैं बशर्त्ते कि इन कारणों का उल्लेख संचिका में स्पष्ट किया गया हो।

कृपया इस मार्गदर्शन का दृढ़ता से पालन किया जाय।

विश्वासभाजन

(अफज़ल अमानुल्लाह)
सरकार के प्रधान सचिव

D:\old file\Pandey Jee.doc